न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 9/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री दीपक गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द गोयल
   एफबीओ मैसर्सः— प्रभुदयाल कैलाश चन्द अग्रवाल, माधोगन्ज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 29.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.2.2022 को दोपहर बाद 02:15 बजे मैसर्स— प्रभुदयाल कैलाश चन्द अग्रवाल, माधोगन्ज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री दीपक गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द गोयल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक के लूज कट्टे में करीबन 20 किग्रा मिर्च पाउडर(लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से 2 किलोग्राम मिर्च पाउडर(लूज) नमूने की जॉच हेतु खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया जिसकी कीमत 400 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा मिर्च पाउडर(लूज) को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिब्बों पर डी. ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2810 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 16.2.2022 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.2.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.2.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./211/एक्ट/2022/211 दिनांक 28.2.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./211/एक्ट/2022/211 दिनांक 28.2.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(V) का उल्लंघन किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं एक साधारण खुदरा व्यापारी हुं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरे प्रतिष्ठान पर लूज मसाला बेचान पाया गया है। प्रयोगशाला में मसाने का नमूना खाद्य मानको की कसौटी पर खरा उतरा। मूझे सूचित किया गया कि लूज मसाला बेचना प्रतिबन्धित है। अतः मै वादा करता हूं कि भविष्य में लूज मसाला नहीं बेचुंगा। कृपया जूर्माने की राशि न्यूनतम रखी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र0 सं0 : 9/2022 **FSSA**

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./211/एक्ट/2022/211 दिनांक 28.2.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय करने पर नियम 2.3.14(15) एफएसएस **(Prohibition and restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(**V**)(**II**) के अन्तर्गत अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त संख्या श्री दीपक गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द गोयल एफबीओ मैसर्सः– प्रभुदयाल कैलाश चन्द अग्रवाल, माधोगन्ज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा पर 8000/–(अक्षरे आठ हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 29.06.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ **FSSA**/2022 दिनांकः– 29.06.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दीपक गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द गोयल
   एफबीओ मैसर्सः– प्रभुदयाल कैलाश चन्द अग्रवाल, माधोगन्ज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा